जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 14.06.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल अन्तर्गत ग्राम सिकतौर माफी में दो पक्षों में आम के बगीचे को लेकर मारपीट की घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल का किया गया निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** की उस्थिति में दिनांक 14.06.2025 को थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सकतौर माफी में दो पक्षो में आम के बगीचे को लेकर हुए मारपीट की घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल का निरीक्षण कर उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी ली गयी। आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी मेंहदावल व प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल को निर्देशित किया गया है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री *सर्व दवन सिंह*, प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर सुंसगत धाराओं में अ भयोग पंजीकृत कर नियमानुसार व धक कार्यवाही प्रच लत है ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनों से 89,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनों से 89,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 202/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता महेन्द्र निषाद पुत्र इन्द्रजीत निषाद निवासी राजापुर सरैया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को च्यूटना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 13.06.2025 को वादिनी द्वारा थाना दुधारा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री कृष्णकान्त मिश्रा, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 राधेश्याम गिरि।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 204/2025 धारा 69 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 आसिफ पुत्र सहाबुद्दीन निवासी महुआरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को साफियाबाद के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 13.06.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. मो0 आसिफ पुत्र सहाबुद्दीन निवासी महुआरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हो0का0 दुर्गेश कुमार, का0 मनीष कुमार यादव।